राजस्थान–सरकार

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141–2704357 : 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांकः– निसंशि / शैक्ष– I / पं.164 / वैसंएशिबो / 2020 / 39880 दिनांकः– 18/9/2020

वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन हेतु सुझाव आमंत्रण

राज्य सरकार के जन घोषणा–पत्र (नीतिगत दस्तावेज) के बिन्दु संख्या 7.26–"प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया जावेगा।" के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं.6(16) प्र.सु. / अनु. 3 / 2020 जयपुर दिनांक 08.05.2020 द्वारा वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना हेतु विशेषज्ञों की एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया।

राज्य सरकार द्वारा गठित प्रारूप (DRAFT) निर्माण समिति ने वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रारूप (DRAFT) तैयार किया है। समिति द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव (DRAFT) को निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट (www.rajsanskrit.nic.in) पर अपलोड किया जाकर संस्कृत विद्वानों, वैदिक विद्वानों, प्रबुद्ध नागरिकों के सुझाव / परामर्श, राय आमंत्रित है। कृपया अपने सुझाव / परामर्श, राय 30 दिवस में संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान की ई.मेल.आई.डी. **(director.sanskrit@gmail.com)** पर प्रेषित करें।

भवदीय

www.rajteachers.com

18/9/2020

(डॉ. दीरघराम रामस्नेही)
सदस्य सचिव / संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड

"वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड" की स्थापना करने हेतु उपबन्ध अधिनियम।

मानव समाज को वैदिक संस्कार एवं शिक्षा की ओर आकृष्ट कर पुरूषार्थ चतुष्टय का निर्वहन कराने और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मे एक वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है।

(1) संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

(क) इस अधिनियम का नाम **"वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड "** अधिनियम 2020 होगा।

(ख) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान मे रहेगा।

(ग) यह तुरन्त प्रवृत होगा/राज्यपाल अनुमति तिथि से।

(2) परिभाषा

इस अधिनियम मे जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "राज्य" से तात्पर्य राजस्थान राज्य है।

(ख) "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार है

(ग) "बोर्ड" से तात्पर्य वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड है।

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य बोर्ड का अध्यक्ष है।

(ड़) "उपाध्यक्ष" से तात्पर्य बोर्ड का उपाध्यक्ष है।

(च) "सचिव" से तात्पर्य बोर्ड का सचिव है।

(छ) "संस्था" से तात्पर्य बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्था है।

(ज) "विद्यालय" से तात्पर्य बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त वैदिक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय है

www.rajteachers.com

(झ) "संस्था–प्रधान" से तात्पर्य बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त वेद विद्यालय का प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य है।

(ञ) "अध्यापक" से तात्पर्य छात्रों को शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था का कोई शिक्षक, वरिष्ठाध्यापक, व्याख्याता या कोई भी अन्य व्यक्ति है।

(ट) "केन्द्र–अधीक्षक" से तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त व्यक्ति है।

(ठ) "विनियम" से तात्पर्य बोर्ड की किसी भी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम से है।

(ड) "कर्मचारी" से तात्पर्य बोर्ड के किसी अध्यापक से भिन्न बोर्ड में या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है।

(ढ) "बोर्ड अध्यापक" से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है जिसे बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बोर्ड के विद्यालय में शिक्षा देने हेतु नियुक्त किया गया है।

(ण) "परिनियम" से तात्पर्य बोर्ड मे नीतिगत विषयों और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले इस अधिनियम के अधीन बनाये गये और समय–समय पर यथा संशोधित परिनियम है।

(ढ) "आवास" से तात्पर्य बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय के किसी भाग के रूप में या उससे पृथक रूप से बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय के छात्रों के लिए संधारित है।

(त) "छात्र" से तात्पर्य जो बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए बोर्ड सम्बद्ध विद्यालय या मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्था मे नियमित प्रवेश लिया हुआ हो।

(थ) "वैदिक शिक्षा" से तात्पर्य ऐसी विशिष्ट शिक्षा है जो भारतीय संस्कृति का मूल है जिसमें मानव के लिए सद् असद् के ज्ञान सहित सम्पूर्ण विज्ञान समाहित है जो आदि से अन्त तक जीवन की पथ प्रदर्शक है।

(3) बोर्ड का गठन

(i) उस दिनांक से जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड स्थापित करेगी।

www.rajteachers.com

(ii) वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शास्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी। जिसमें चल और अचल दोनो प्रकार की सम्पत्ति को अर्जित और धारित करने, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये उपबन्धों के अधीन अपने द्वारा धारण की हुई किसी सम्पत्ति को अन्तरित करने तथा उसमें गठन के प्रयोजनों के लिए संविदा करने और अन्य समस्त कार्य करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा अथवा उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(4) बोर्ड की संरचना

बोर्ड मे नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होगे।

(i) पदेन सदस्य–

(क) शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान या उनके द्वारा मनोनित संयुक्त सचिव/ उपशासन सचिव स्तर के प्रतिनिधि

(ख) शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव/उपशासन सचिव के समकक्ष है

(ग) शासन सचिव, कला एवं संस्कृति राजस्थान या उनके द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव/उपशासन सचिव स्तर के प्रतिनिधि

(घ) निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान

(ड़) निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

(च) निदेशक आयुर्वेद निदेशालय राजस्थान

(छ) निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

(ज) कुलपति जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि 2 प्रोफेसर

(झ) कुलपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि 2 प्रोफेसर

(ञ) निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर

www.rajteachers.com

(ii) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट 5 सदस्य–

वेद के क्षेत्र में कार्य करने वाले एन0जी0ओ0 के सदस्य या जिनमें विशेषज्ञता– वैदिक शिक्षण, पर्यावरण, आयुर्वेद, संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण, संस्कृत पत्रकारिता, कृषि विज्ञान, ज्योतिष, खगोल विज्ञान इनसे जुडे हुए पांच व्यक्ति सदस्य होंगे।

(iii) राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट 2 सदस्य–

(i) अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा द्वारा राज्य विधानसभा के दो सदस्य।

(5) बोर्ड का मुख्यालय

बोर्ड का मुख्यालय राज्य सरकार के निर्णयानुसार रहेगा।

(6) सदस्यों की पदावधियाँ

बोर्ड के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगे। परन्तु ऐसे सदस्य उक्त तीन वर्ष की कालावधि के पश्चात् भी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अधिकतम 6 माह तक पद पर बने रहेगें।

(7) पदावधि के अवसान पर रिक्त पदों का भरा जाना

सामान्य पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि का अवसान हो जाने सम्बन्धित रिक्तियां एक महीने के भीतर विहित रीति से भरी जाएगी।

(8) नामों का प्रकाशन

उन व्यक्तियों के नाम जो धारा 4 के अनुसार बोर्ड के सदस्य होने के लिए नाम निर्दिष्ट अथवा सहयोजित किये गये हो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किये जायेगे।

www.rajteachers.com

(9) बोर्ड के उद्देश्य

(क) वेद विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली निर्मित करना। कक्षा X एवं XII तक की मान्यता एवं समकक्षता प्रदान कराना।

(ख) वैदिक संस्कृति का परिज्ञान प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों से प्रारम्भ कर उच्च शिक्षा तक प्रसारित करने हेतु विद्यालय का संचालन करना।

(ग) वेदों मे निहित ज्ञान–विज्ञान का प्रचार–प्रसार और वेदों का लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रतिष्ठापित करना।

(घ) वेद मंत्रों का सरल हिन्दी में अनुवाद उपलब्ध कराया जाना।

(ड़) उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों का सरल हिन्दी में अनुवाद कराया जाना।

(च) निघण्टु में अवस्थित शब्दों को जिनका निर्वचन निरुक्त में नहीं किया गया है मूल धातुगत अर्थ कर ऋग्वेद तथा अन्य वेदों के मंत्रों में सम्बन्धित शब्दों की संगति कराया जाना।

(छ) वैदिक पदों के धातुगत अर्थो की खोज कराना।

(ज) वेदों के भाष्य और आख्यानों का सरल धातुगत अर्थ प्रसारित कराया जाना।

(झ) वेद एवं विज्ञान शास्त्र के विशेषज्ञों की निर्धारित सूक्तों पर समन्वित संगोष्ठियाँ आयोजित कराना तथा निष्कर्ष प्रकाशित करनां

(ञ) वेद, मंत्र, तंत्र तथा यंत्र विद्या के वैज्ञानिक विषयों पर प्रकाशित प्राचीन ग्रंथ, शोधग्रंथ एवं पाण्डुलिपियों का संकलन व संरक्षण करना।

(ट) वैदिक वाड्.मय में निहित सृष्टि एवं प्रकृति विज्ञान से सम्बन्धित मंत्र, तंत्र एवं यज्ञादि कर्मों कें प्रायोगिक परीक्षण के निष्कर्षों से जनसामान्य को अवगत कराना।

(ठ) वेद–वेदांगों के लुप्त प्रायः वाड्.मय का संरक्षण एवं संवर्धन करना।

(ड) वैदिक वाड्.मय में प्रासंगिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

(ढ) वेद पाठ की परम्परा को अक्षुण्ण बनाने, उसके विस्तार के लिए प्रदेश के अतिरिक्त देश के विभिन्न प्रदेशों के विद्वानों को आमंत्रित कर उनके निर्देशन में प्रदेश के बाल, युवा, सेवारत वर्ग एवं इच्छुक व्यक्तियों को वेदपाठ मे पारंगत करना।

(ण) स्वयंपाठी छात्रों की सुविधा हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं प्रमाण पत्र

www.rajteachers.com

प्रदान करना।

(त) वैदिक वाङ्मय के सन्देशों का जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारण करवाना।

(थ) राज्य में विद्यमान वेद विद्यालयों का समेकित नियंत्रण करना।

(द) बोर्ड का कार्यविस्तार आवश्यकतानुसार भविष्य में देश–विदेश में भी किया जा सकेगा। देश–विदेश के लिये ऑनलाईन पाठ्यक्रम बनाकर ऑनलाईन अध्ययन–अध्यापन किया जा सकेगा।

(ध) अन्य शिक्षण संस्थाओं से MOU कर वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

(न) बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र को राज्य सरकार से मान्यता दिलवाना।

(प) वेद में प्रस्तुत ज्ञान के अनुशीलन और उच्च स्तर की चेतना की प्राप्ति के संदर्भ में तर्कसंगत दृष्टिकोण और वैज्ञानिक स्वभाव की गहनता को सामने लाना।

(फ) जनसामान्य में वैदिक संस्कारों की अभिरूचि उत्पन्न करने हेतु प्रेरित करना/ प्रचार– प्रसार कराना।

(ब) षोड़श संस्कार एवं त्रिकाल संध्या का महत्व प्रतिपादन करना।

(10) बोर्ड के अधिकारी तथा उनके कर्त्तव्य और शक्तियाँ

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी होंगे

- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- सचिव
- ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हे विनियमों द्वारा बोर्ड अधिकारी घोषित किया जाय।

(1) अध्यक्ष

(i) वेद के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र के अनुभवी शिक्षाविद् को बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। उसकी नियुक्ति अवधि तीन वर्ष की होगी। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष का मनोनयन एक समिति द्वारा प्रस्तावित तीन वेद मनीषियों के पैनल में से किया जायेगा। समिति में दो व्यक्ति बोर्ड द्वारा निर्वाचित तथा संयोजक के रूप में एक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

www.rajteachers.com

(ii) इस प्रकार मनोनीत अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और दूसरी अवधि के लिए पुनः निर्धारित प्रक्रियानुसार मनोनीत किया जा सकेगा।

अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य :–

(i) अध्यक्ष बोर्ड का प्रमुख होगा जिसे अधिनियम और विनियमों के निष्ठापूर्वक अनुपालन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।

(ii) किसी भी समय विहित रीति से विहित समय पर बोर्ड का उपवेशन बुलाया जा सकेगा तथा बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध जिसमें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले कार्य का वर्णन हो की प्राप्ति पर बोर्ड का उपवेशन बुलायेगा।

(iii) बोर्ड के प्रशासनिक कार्य से पैदा होने वाली किसी आकस्मिक आवश्यकता में जिसके बारे में अध्यक्ष की राय में तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात् बोर्ड को उसके आगामी उपवेशन में उक्त कार्यवाही के विषय में जानकारी देगा/पारित करायेगा।

(iv) बोर्ड के प्रत्येक उपवेशन में जिसमें वह उपस्थित हो अध्यक्षता करेगा।

(2) उपाध्यक्ष

आयुक्त/निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होगा।

उपाध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य :–

प्रशासनिक, शैक्षणिक और समस्त मामलों में अध्यक्ष की सहायता करेगा, उपाध्यक्ष ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जायें और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(3) सचिव

(i) सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों तथा कालावधि के लिये की जायेगी जो राज्य सरकार उचित समझे।

www.rajteachers.com

सचिव की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य :–

(i) सचिव, अध्यक्ष के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये, बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(ii) बोर्ड के समस्त उपवेशन, विनियमों द्वारा उपबन्धित रीति से संयोजित करेगा।

(iii) बोर्ड के आय–व्यय एवं तत्सम्बन्धी मदवार लेखों का नियंत्रक अधिकारी होगा।

(iv) बोर्ड के समस्त उपवेशनों के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(v) बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा विचार रखने का उसे हक होगा, किन्तु वह मत का अधिकारी नहीं होगा।

(vi) सचिव कर्मचारियों के लिए अनुशासनिक अधिकारी होगा।

(vii) सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए।

(viii) निदेशक शैक्षणिक

(ix) निदेशक परीक्षा

(x) निदेशक वित्त

(11) बोर्ड की समितियाँ एवं उनकी प्रक्रिया

बोर्ड निम्नलिखित समितियां गठित करेगा :–

(क) पाठ्यक्रम समिति

(ख) परीक्षा समिति

(ग) पाठ्यचर्या समिति

(घ) मान्यता समिति

(ड.) वित्त समिति

(च) प्रचार–प्रसार समिति

(छ) दृश्य–श्रव्य संसाधन समिति

(झ) ऐसी अन्य समितियां जो विहित की जायें।

प्रत्येक समिति मे बोर्ड के ऐसे सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो विनियमों द्वारा विहित किये जाये।

सदस्यों की संख्या, अवधि एवं कर्त्तव्य विनियमों द्वारा विहित होगें।

www.rajteachers.com

(i) बोर्ड द्वारा समितियों की प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग :–

इस अधिनियम द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों को जिन्हें बोर्ड ने किसी समिति को विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित किया हो, बोर्ड द्वारा प्रयोग से सम्बन्धित समस्त मामलें उस समिति को निर्देशित किये जायेगे और बोर्ड किन्ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व उस प्रश्नगत मामलें के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

(ii) आकस्मिक रिक्तियाँ :–

बोर्ड की या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी समिति के पदेन सदस्यों के अलावा सदस्यों की समस्त आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र सुविधानुसार उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है नियुक्त या मनोनीत किया था, और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या मनोनीत व्यक्ति, यथास्थिति बोर्ड या समिति का ऐसी अवशिष्ट अवधि के लिए सदस्य रहेगा जब तक कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या मनोनयन हुआ है, सदस्य रहता ।

(iii) रिक्तियाँ तथा अनियमितताओं के कारण कार्यवाहियों का अमान्य न होना :–

बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य, निर्णय या कार्यवाही केवल उसके सदस्यों मे कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान होने या उसके गठन मे ऐसी त्रुटि होने या प्रक्रिया मे ऐसी कोई अनियमितता होने के कारण जो मामले के गुणा व गुण को प्रभावित न करे, अमान्य नहीं की जायेगी। लगातार तीन मीटिंग तक कोई सदस्य अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। यदि कोई सदस्य नियमों के विपरीत कार्य/आचरण करेगा तो उसे हटाया जा सकेगा।

(iv) कोरम :–

बोर्ड या उसकी किसी समिति के उपवेशन में जब तक बोर्ड या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के अर्धाधिक सदस्य उपस्थित न हो, उपवेशन स्थगित किया जायेगा।

www.rajteachers.com

(i) हितबद्ध सदस्यों का विचार–विमर्श में भाग न लेना :–

कोई सदस्य ऐसे किसी मामलें पर, जिसमें उसका कोई निजी हित हो विचार–विमर्श में भाग नहीं लेगा अथवा अपना मत नहीं देगा।

(12) बोर्ड की शक्तियाँ एवं कृत्य

बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का बिना किसी भेदभाव व वर्गभेद के निर्वहन करेगा :–

(i) वैदिक वाङ्मय के अध्ययन–अध्यापन के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना और आवश्यकतानुसार उनका संचालन करना।

(ii) राज्य में स्थापित/संचालित समस्त वैदिक विद्यालयों को सम्बद्ध करना।

(iii) ऐसे व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान करना जिन्होंने बोर्ड द्वारा स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा अनुमोदित संस्था में नियमित छात्र के रूप में विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो।

(iv) परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विहित रीति से प्राइवेट शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(v) बोर्ड द्वारा अपेक्षित अध्यापकों तथा अध्यापनेत्तर पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना।

(vi) सम्बद्ध विद्यालयों और अनुमोदित संस्थाओं का निरीक्षण करना और उनमें अध्यापन, अनुदेशन और प्रशिक्षण सम्बन्धी उपयुक्त स्तरमान बनाये रखना।

(vii) अध्यापक, छात्र, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भवन, कार्यालय, आवास–निवास स्थान, छात्रावासों इत्यादि का संनिर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्ध करना।

(viii) आवासीय विद्यालयों के लिए भूमि एवं भवन का प्रबन्ध करना, संनिर्माण और अनुरक्षण करना।

(ix) अध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों में अनुशासन का पालन कराना और उनके कल्याण की अभिवृद्धि करने और उनकी सेवाशर्तों में सुधार करने की दृष्टि से आवश्यक व्यवस्थाएं करना।

www.rajteachers.com

(x) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, मानदेय, पारितोषिक आदि आरम्भ करना और प्रदत्त करना। यदि कोई छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी।

(xi) ऐसे शुल्क और अन्य प्रभार नियत और संग्रहित करना जो विहित किये जाये।

(xii) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से धन राशियाँ उधार लेना।

(xiii) बोर्ड के विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संदान, अनुदान, दान (चल–अचल) भेंट और सहायता प्राप्त करना।

(xiv) बोर्ड के उद्देश्यों के लिए प्रादेशिक एवं केन्द्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

(xv) वैदिक शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्रों के लिए कक्षावार वेद एवं अन्य अनिवार्य विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करना तथा परीक्षा प्रणाली निर्मित करना।

(xvi) राज्य सरकार के समक्ष ऐसे किसी प्रकरण पर जिसमें राज्य सरकार सम्बन्धित हो अपने विचार प्रस्तुत करना।

(xvii) संचालित एवं नवीन वेद विद्यालयों के लिए मान्यता एवं सम्बद्धन की प्रक्रिया निर्धारित करना। कक्षा X एवं XII तक की मान्यता व समकक्षता प्रदान करना।

(xviii) विद्यालय निरीक्षण एवं अनुशासनिक कार्यवाही निर्धारित करना।

(xix) भाषणों, शैक्षणिक प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों, परिसंवादों का आयोजन व व्यवस्था करना तथा ऐसे अन्य उपाय करना जो राज्य में वेद निहित संस्कार एवं शिक्षा का स्तर उन्नत करने के लिए आवश्यक हो।

(xx) ऐसे समस्त अन्य कार्य करना जो राज्य में वैदिक शिक्षा के विनियमन तथा पर्यवेक्षण के लिए गठित निकाय के रूप में बोर्ड के उद्देश्यों की ओर अग्रसर होने के लिए अपेक्षित हो।

(xxi) समय–समय पर चारों वेदों के अधिकृत विद्वानों द्वारा ऑडियो तथा विडियो तैयार करवाना।

(13) बोर्ड की निधि

(क) बोर्ड की अपनी निधि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा होगी और बोर्ड को प्राप्त सभी धनराशियाँ उसमें जमा की जायेगी। बोर्ड के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे।

www.rajteachers.com

(ख) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये इस अधिनियम उपबन्धों के अधीन रहते हुये बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों का प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे व्यय करने की शक्ति होगी।

(14) लेखा और लेखा परीक्षा

(क) बोर्ड उचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगा।

(ख) बोर्ड एक वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(ग) बोर्ड के लेखों की परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(घ) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

(15) राज्य सरकार का अधिकार

(क) राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे बोर्ड सम्बन्धित हो, बोर्ड को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा।

(ख) बोर्ड राज्य सरकार को उसके पत्र पर की गई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो की सूचना देगा।

(ग) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे तो बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

www.rajteachers.com

(घ) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो तो वह बोर्ड को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश दिये बिना इस अधिनियम से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिससे वह आवश्यक समझे और विशिष्टत ऐसे आदेश द्वारा किसी से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तद्नुसार बोर्ड को तत्काल सूचना देगी।

(ड) राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर आपत्ति नही की जायेगी।

(16) नियम बनाने की शक्ति निरसन और अपवाद

(क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है

(ख) "वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड" अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) मे निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीनकृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

(17) कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

(क) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन मे कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी।

(ख) ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

---

www.rajteachers.com